

## 1- vkb] k] ke 1/rygu] nygu , oa eDdk½ fodkl ; kst uk

mnks ; %

जिले में आईसोपाम (तिलहन, दलहन एवं मक्का) विकास योजना के अन्तर्गत आने वाली फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना योजना का प्रमुख उद्देश्य है।

i ko/kku %

योजना के अन्तर्गत तिलहन, दलहन एवं मक्का विकास में निम्नानुसार घटकों में कृषकों को अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

क्र.	घटक का नाम	अनुदान दिये जाने का प्रावधान
1	2	3
1	प्रजनक बीज खरीदी पर अनुदान	कीमत का षतप्रतिषत या 4000=00 रु.प्रति क्विंटल
2	आधार बीज का उत्पदन पर अनुदान	रु.500=00 प्रति क्विंटल
3	प्रमाणित बीज उत्पदन पर अनुदान	रु.500=00 प्रति क्विंटल
4	प्रमाणित बीज वितरण पर अनुदान	रु.100=00 प्रति क्विंटल
5	पौध संरक्षण दवा वितरण पर अनुदान	कीमत का 50 प्रतिषत या 500=00 रु.प्रति हेक्टेयर
6	नीदानाषक दवा वितरण पर अनुदान	कीमत का 50 प्रतिषत या 500=00 रु.प्रति हेक्टेयर
7	पौध संरक्षण यंत्र वितरण पर अनुदान	हस्तचलित यंत्र पर कीमत का 50 प्रतिषत या रु. 800=00 प्रति यंत्र एवं ष्वितचलित यंत्र पर कीमत का 50 प्रतिषत या रु. 2000=00 प्रति यंत्र
8	आई.पी.एम. प्रदर्शन का आयोजन	सोयाबीन फसल आई.पी.एम.प्रदर्शन के अन्तर्गत 428=00 रु. प्रति हे. एवं सरसों फसल पर 930=00 प्रति हे., अरहर फसल पर 1140=00 रु. प्रति हे. एवं मक्का फसल पर 1480=00 प्रति हे. अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।
9	खण्ड प्रदर्शन	सोयाबीन, रामतिल, अरहर, उड़द, मूंग पर 2500=00 रु. प्रति हे. एवं मक्का फसल पर 4000=00 रु. प्रति हे. अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।
10	जिप्सम पायराईट पर अनुदान	अम्लीय भूमि को क्षारीय अवस्था में लाने के लिये जिप्सम वितरण पर कीमत का 50 प्रतिषत या रु. 750=00 प्रति हे. जो भी कम हो अनुदान यिा जाता है।
11	सूक्ष्म पौषक तत्व वितरण पर अनुदान	कीमत का 50 प्रतिषत या राषि रु 500=00 प्रति हे.
12	स्प्रिंकलर सेट वितरण पर अनुदान	कीमत का 50 प्रतिषत या राषि रु 7500=00 प्रति सेट
13	सिंचाई पाईप लाईन वितरण पर अनुदान	कीमत का 50 प्रतिषत या राषि रु 15000=00 प्रति सेट
14	रैनगन वितरण पर अनुदान	कीमत का 50 प्रतिषत या राषि रु 6000=00 प्रति सेट

dk& ykHk ys l drk g\$ \

योजनांतर्गत प्राथमिकता के तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर अनुदान दिया जाता है एवं मध्यम एवं बड़े कृषकों को भी कुछ घटकों में अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

; kst uk dk ykHk d\$ s ya %

1- fdl l s l Eidl dja % क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से सम्पर्क करें।

2- **vkouu ik: i dgkwl s iklr dja %** आवेदन का प्रारूप प्राप्त करने हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड कार्यालय के द्वारा आवेदन का प्रारूप प्राप्त किया जा सकता है।

3- **vkouu djus dk rjhdk %** क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड कार्यालय के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

4- **vko'; d nLrkost %** योजनांतर्गत विभिन्न घटकों में लाभ लेने हेतु कृषकों को अपने भूमि संबंधी दस्तावेज जैसे भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका दिखानी होती है एवं सिप्रंकलर सेट, सिंचाई पाईप लाईन, रैनगन एव उन्नत कृषि यंत्र प्राप्त करने हेतु बी-1 या किस्तबंदी, खसरा, नक्शा कृषक को तैयार करवाकर आवेदन के साथ संलग्न करना जरूरी होता है। इस प्रकार से योजनांतर्गत किसान भाई पहले आओ पहले पाओं के सिद्धांत पर लाभ ले सकते हैं।

---